

मारुति लिमिटेड की और आयकर की बकाया राशि

1687. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या बिल तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड, गुडगांव पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बिल तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). मारुति लिमिटेड गुडगांव पर अपने स्वयं के कर निर्धारण में आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है ।

परन्तु मारुति लिमिटेड की अपनी लेखा पुस्तकों में एक अन्य कर दाता के नाम में, जिस पर करों, जुर्माने और व्याज के रूप में देय कुछ रकम बकाया थीं, जमा रकमों के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी 'क' वार्ड अटिंडा द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) के अधीन मारुति लिमिटेड को जारी किए गए अनुक्रुणी (गारनिशी) नोटिसों का अनुपालन नहीं होने के कारण मारुति लिमिटेड के विरुद्ध वसूली कार्यवाही की गई है । आयकर अधिकारी ने कुल मिलाकर 9,37,372 रु० की रकम के लिए मारुति लि० के खिलाफ कर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए हैं । उसके अनुसरण में कर वसूली अधिकारी, रोहतक ने तारीख 26 मार्च, 1977 को मारुति लिमिटेड की भूमि और कारखाने की इमारत के अभिग्रहण के आदेश जारी कर दिए थे । सम्पत्ति को बेचने के खिलाफ कुछ आपत्तियां प्राप्त होने के कारण अभिग्रहण कार्यवाही की तारीख 14-7-77 तक के लिए स्थगित रखा गया है ।

तस्करी को रोकने के उपाय

1688. श्री रामजीवन सिंह : क्या बिल तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ मफ्ताहों में तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

बिल तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं, प्राप्त रिपोर्टों में यह संकेत नहीं मिलता है कि पिछले कुछ मफ्ताहों के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है ।

(ख) यद्यपि तस्करी को प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है, तथापि तस्करी विरोधी उपायों को सुदृढ़ कर दिया गया है और अधीनस्थ कार्यालयों को, तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है । इन उपायों में जांच-पड़ताल तथा आसूचना व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, संवेदनशील प्रयत्नों से आने वाले जलयानों की तलाशी लेना और समुद्र तट पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों और परिवहन के मुख्य मार्गों की गश्त लगाना शामिल है ।

बिदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना

1689. श्री यज्ञ वस्त शर्मा : क्या बिल तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत बिदेशों में रहने वाले भारतीयों को इस देश में उद्योग